संख्या-36/2020/356/बावन-1-2020-अधि0 (बजट)/19

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2020

विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय अधिष्ठान के मजदूरी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4446/अ0सं0क0नि0-52/लेखा-/बजट-प्रावि0/2019-20, दिनांक 24.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 मंत्री जी के आवास पर तैनात होमगार्ड स्वयं सेवकों के मानदेय के भुगतान हेतु अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय कार्यालय अधिष्ठान के मजदूरी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि रू0 05.00 लाख की स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय (राजस्व पक्ष) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2070-001-03 के **मानक मद-02-मजदूरी मद में पुनर्विनियोग द्वारा रू0 01.00 लाख(रूपये एक लाख मात्र) स्वीकृत किये जाने** हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2070-001-04 के मानक मद-07-मानदेय मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष उपलब्ध बचतों से संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-09 के अनुरूप पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 **01.00** लाख अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

3- किसी भी दशा में उक्त धनराशि का किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

3- धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत **मानक मद-02-मजदूरी मद के नामें डाला जायेगा। यह धनराशि लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मद-07-मानदेय मद में प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग कर की जायेगी।**

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-बी0एम0-9(भाग-1) प्रपत्र।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-356(1)/बावन-1-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4
8- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in